न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 58/2023 बउनवानी अमरजीत सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार निवासी दोलतपुरा तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर

GCMS No-2023/124

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
3.10.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 16.8.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. ग्राम दौलतपुरा के स्कूल फिल्ड ख0न0 172/1 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा व ख0न0635/108 रकबा 7 बिस्वा से कितना स्कूल फिल्ड है व कितना मरघट मौजूद है व कितनी जगह पर अतिक्रमण है व अतिक्रमियों के नाम व की गयी कार्यवाही का ब्यौरा देने की कृपा करे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के जवाब नोटिस क्रमांक सूकाअ/2023/4519 दिनांक 3.10.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 16.8.2023 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक एवं विशिष्टविहिन होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध में अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 4065 दिनांक 21.8.2023 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 16.8.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक एवं सृजनात्मक एवं विशिष्टविहिन बताते हुए अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। किन्तु अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किये जाने पर चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित किया हुआ पाया गया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना उचित समझता हूँ। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि चाही गयी सूचना अपीलान्ट को 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.12.19 11:45:34 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner